रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1971/भाद्र 8, 1893

No. 444] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1971/BHADRA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 1971

S.O 3251.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 143, dated the 9th January, 1967, the management of the industrial undertaking known as the Mahalakshmi Mills Co. Ltd., Beawar (Rajasthan State), had been taken over by the Authorised Controller referred to therein.

Now whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years that is upto and inclusive of 8th January, 1974.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a period upto an inclusive of the 8th January, 1974.

[No. F. 11021/61/71-Tex(G).]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1971

का०आ० 3251.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 143 दिनांक 9 जनवरी, 1967 द्वारा महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०, ब्यावर (राजस्थान राज्य) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें उल्लिखित प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा ग्रहण कर लिया गया था ;

यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक के पास उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 8 जनवरी, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए ;

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 8 जनवरी, 1974 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए और बना रहेगा।

[सं० का० 11021/61/71-टैक्स० (जी०)]

बी० डी० कुमार,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971